

By Speed Post



भा. कृ. अनु. प. - केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान  
ICAR - Central Arid Zone Research Institute  
जोधपुर (राजस्थान) 342 003 / Jodhpur (Rajasthan) 342 003  
Website: [www.cazri.res.in](http://www.cazri.res.in), Email: [director@cazri.res.in](mailto:director@cazri.res.in)  
Phone No. 0291 - 2787152



फाइल संख्या : 9(2)2021-22/Admn.IV

दिनांक : 03.07.2021

भा. कृ. अनु. प. - केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी), जोधपुर में पुराना अनुपयोगी बिजली का समान, बिल्डिंग का सामान तथा लकड़ी का फर्नीचर इत्यादि सामग्री की नीलामी हेतु कोटेशन आमंत्रण सूचना।

निविदा स्वीकार करने की अंतिम तिथि : 19.07.2021 को 02.30 बजे तक  
निविदा खोलने की दिनांक : 19.07.2021 को 03.00 बजे तक

नोट: निविदा प्रपत्र, संबंधित विवरण, नियम व शर्तें इस संस्थान की वेबसाइट [www.cazri.res.in](http://www.cazri.res.in) पर उपलब्ध है। इच्छुक निविदाकर्ता निविदा प्रपत्र संस्थान के वेब साइट से डाउन लोड कर या संस्थान के प्रशासन चतुर्थ से प्राप्त कर अंतिम तिथि/समय से पहले प्रशासन चतुर्थ में प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रेषक:

सहायक प्रशासकीय अधिकारी,  
भा. कृ. अनु. प. - के. श. क्षे. अनु. सं.,  
जोधपुर (राज.) 342003

सेवा में

मैसर्स / श्रीमान् ——————  
—————

**विषय :** भा. कृ. अनु. प. - केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी), जोधपुर में पुराना अनुपयोगी बिजली का समान, बिल्डिंग का सामान तथा लकड़ी का फर्नीचर इत्यादि सामग्री की नीलामी हेतु कोटेशन आमंत्रण सूचना।

**महोदय,**

इस संस्थान के निदेशक की ओर से विभिन्न प्रकार के पुराना अनुपयोगी बिजली का समान, बिल्डिंग का सामान तथा लकड़ी का फर्नीचर इत्यादि सामग्री की नीलामी हेतु कोटेशन आमंत्रण सूचना। सील बन्द निविदा आमंत्रित की जाती हैं। जिसका विस्तृत विवरण, नियम व शर्तें सलंग्न अनुसार हैं।

सभी प्रकार से पूर्ण सीलबन्द निविदा अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 19.07.2021 को प्रातः 02.30 बजे तक हाथों – हाथ या डाक/कोरियर द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए। निश्चित अंतिम दिनांक एवं समय के पश्चात निविदाएं स्वीकार्य नहीं की जायेगी।

निविदाएं दिनांक 19.07.2021 को 03.00 बजे इस संस्थान की समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के सामने इस संस्थान के सभागार में नीलामी समिति द्वारा खोली जाएगी।

भवदीय

सलंग्न : उपरोक्तानुसार

सहायक प्रशासकीय अधिकारी (भण्डार)  
वास्ते निदेशक

## नीलामी के नियम व शर्तें –

1. **धरोहर राशि :** निविदा के साथ “**ICAR Unit- ICAR-CAZRI Jodhpur**” के नाम रूपये 5,000/- मात्र का राष्ट्रीय अधिकृत बैंक द्वारा जारी ड्राफ्ट (**Demand Draft**) / बेकर्स-चेक निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा आपकी निविदा मान्य नहीं होगी ।
2. अनुपयोगी सामान के प्रकार के अनुसार उस पर लगने वाला बिक्री कर खरीददार को अलग से बिक्रीकर विभाग के पास नकद जमा करानी होगी ।
3. नीलाम किया जाने वाला अनुपयोगी सामान इत्यादि “जैसा है जहाँ है आधार पर” वर्णित स्थल से नीलाम किया जायेगा ।
4. इच्छुक निविदाकर्ता उपरोक्त अनुपयोगी सामान इत्यादि को दिनांक 16–17 जुलाई, 2021 को कार्यालय समय 10.30 से 4.30 के दौरान इस संस्थान में उपस्थित होकर देख सकते हैं । निविदा खुलने के बाद नीलाम किये जाने वाले अनुपयोगी सामान इत्यादि के संबंध में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी ।
5. निविदा पूर्ण विवरण सहित भरी जानी चाहिए, अधुरी कॉट-छॉट और अस्पष्ट निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी ।
6. निविदा सीलबन्द लिफाफे में उपरोक्तानुसार अंतिम दिनांक व समय तक सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ/स्टोर अनुभाग के कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में डाली जा सकती है। डाक संबंधी विलम्ब के लिए काजरी कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। निविदा पत्र के लिफाफे के ऊपर पुराना अनुपयोगी बिजली का समान, बिल्डिंग का सामान तथा लकड़ी का फर्नीचर इत्यादि सामग्री इत्यादि की नीलामी के लिए निविदा अवश्य लिखें।
7. निविदा उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे संस्थान की समिति द्वारा खोली जाएगी ।
8. सफल या उच्चतम निविदा दाता/पार्टी को नीलामी के तुरन्त पश्चात् नीलाम किये गये अनुपयोगी सामान इत्यादि की स्वीकृत की गई अधिकतम निविदा के अनुसार सम्पूर्ण राशि इस संस्थान के डिमाण्ड ड्राफ्ट /बेकर्स-चेक /e payment संस्थान के बैंक खाते में जमा करानी होगी। यदि अधिकतम स्वीकृत निविदा दाता सम्पूर्ण राशि जमा कराने में असफल रहता है तो उसकी जमा की गई बिड सिक्युरिटी/धन राशि भी सरकार/संस्थान जब्त कर लेगी और वह अनुपयोगी सामान इत्यादि पुनः नीलाम कर दिये जाएंगे जिसमें उसको भाग लेने का अधिकार नहीं होगा ।
9. अनुपयोगी सामान इत्यादि नीलामी के सफलतम अधिकतम स्वीकृत दर निविदा दाता/फर्म के अतिरिक्त अन्य निविदादाता की धरोहर राशि को पंजीकृत डाक से लौटा दिया जाएगा ।
10. नीलाम किया गया अनुपयोगी सामान इत्यादि वर्णित स्थल से “जैसा है जहाँ है आधार पर” कार्यालय आदेश जारी होने से दो दिन के भीतर उठाना अनिवार्य होगा अन्यथा नीलामी राशि का एक प्रतिशत प्रतिदिन अलग से चार्ज किया जावेगा एवं एक माह तक माल न उठाने पर नीलामी स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी तथा जमा रकम जब्त कर ली जावेगी । नीलामी के नियम व शर्तों का उल्लंघन होने पर अनुपयोगी सामान इत्यादि पुनः नीलाम कर दिया जावेगा और इस संबंध में उस पार्टी का कोई अधिकार मान्य नहीं होगा ।
11. ऐसी संस्था, पार्टी अथवा व्यक्ति इत्यादि जिसके जिम्मे राजकीय वित्त बकाया होगी नीलामी में भाग नहीं ले सकेंगे ।
12. निदेशक, काजरी द्वारा बिना कोई कारण बताए निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत या निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है ।
13. निविदादाता को इन नियम व शर्तों को हस्ताक्षर कर अपनी फर्म/पार्टी के नाम की मोहर लगाकर निविदा के संलग्न करना अनिवार्य है । निविदा सूचना प्रपत्र, विवरण एवं नियम व शर्तों की प्रतिलिपि इस संस्थान की वेबसाइट [www.cazri.res.in](http://www.cazri.res.in) से डाउन लोड की जा सकती है ।
14. प्रस्तुत की गई निविदा हस्ताक्षरयुक्त होनी चाहिये । बिना हस्ताक्षर के निविदा मान्य नहीं होगी ।
15. नीलामी छोड़ने या न छोड़ने का अधिकार निदेशक, को०शु०क्षे०३०३०, जोधपुर को होगा ।
16. निविदादाता को अपनी पहचान का फोटो युक्त आई०डी० प्रूफ, पेन संख्या, मोबाइल नम्बर एवं पूर्ण पता देना होगा । पेन संख्या अवश्य लिखें एवं पेन प्रमाण पत्र की फोटो प्रतिलिपि संलग्न करें एवं साथ में बैंक डिटेल्स A/c No., IFSC Code, Branch Name अवश्य लिखे अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी ।
17. नीलामी स्थल पर निविदा खोले जाते समय कानून एवं व्यवस्था का पालन करना होगा ।
18. नीलामी हेतु माल के प्रकार के अनुसार माल के विवरणी में दर्शाये गये हैं एवं इनकी सरकारी न्यूनतम बोली निर्धारित की गई है । यदि किसी माल के संन्दर्भ में प्राप्त निविदाओं में कोट की गई उच्चतम बिड यदि सरकारी न्यूनतम बोली राशि से कम रहती है तो उस अनुपयोगी सामान इत्यादि की नीलामी नहीं की जाएगी ।
19. नीलामी हेतु माल के प्रकार के अनुसार माल के विवरणी में दर्शाये गये हैं एवं इनकी सरकारी न्यूनतम बोली निर्धारित की गई है । यदि किसी माल के संन्दर्भ में प्राप्त निविदाओं में कोट की गई उच्चतम बिड यदि सरकारी न्यूनतम बोली राशि से कम रहती है तो उस अनुपयोगी सामान इत्यादि की नीलामी नहीं की जाएगी ।
20. यदि निलामी/निविदा प्रस्तुत करने के संबंध में उपरोक्त विवरण/नियम/शर्तें स्वीकार्य हो तो प्रस्तुत निविदा प्रपत्र व इसके साथ संलग्न अनुसूची (Schedule) में संबंधित अनुपयोगी सामान इत्यादि के विवरण के समक्ष अपनी निलामी बोली अंकित कर सील बंद लिफाफे में निविदा प्रस्तुत करने के लिये निर्धारित समय या उससे पुर्व संस्थान के सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ/स्टोर अनुभाग के कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में डालें/प्रस्तुत करें ।
21. संस्थान परिसर में निविदा दाता को कोविड-19 गाइड लाइन की सख्ती से पालना करनी होगी ।

सहायक प्रशासकीय अधिकारी (भण्डार) वार्ते निदेशक

### Schedule to tender

निविदा बोली प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र

क्रमं संख्या	माल का विवरण	नीलामी in Rupees (निविदा बोली को अंकों और शब्दों दोनों में अंकित किया जाना है)
I	पुराना अनुपयोगी बिजली का समान, बिल्डिंग का सामान तथा लकड़ी का फर्नीचर इत्यादि सामग्री	

**Signature of bidder .....**

**Name and address of the bidder /firm.....**

.....

**Mobile and Telephone No.....**

**Bank Details, Bank A/c No., IFSC Code No. Name of Bank and Name of Branch**

.....

.....